न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी योगेन्द्रसिंह RAS

प्रकरण संख्या - 60/20 दायर दिनांक 9.9.20

मोहन गोपाल पुत्र सीताराम जाति माली निवासी भुसावर तहसील भुसावर हाल निवासी प्लॉट नं. 14. महावीर एनक्लेव हीरापुरा कुशियावास जयपुर

———— - वादी लापक

बनाम

1. बिजेन्द्र
2. पारसराम } पुत्रान लल्लू जाति माली निवासी डॉ. मेहरा नेत्रालय के पीछे बयाना रोड भुसावर
3. राधिका पत्नी स्व. भगवानसिंह जाति माली निवासी भुसावर हाल निवासी सत्यनारायण जनरल किरान स्टोर हसनपुरा A जयपुर
4. अतरसिंह पुत्र लल्लू जाति माली निवासी कस्बा भुसावर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

— — प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त कारि अधिनियम 1955

अधिवक्ता - श्री रजेश पाण्डेय - प्रार्थी
श्री खेमसिंह चौधरी अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 28.3.22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आ० ख० नं. 1471 रकबा 0.6800 हैक्टर वाके ग्राम भुसावर प्रथम में स्थित है जिसमें वादी 2/9 हिस्सा का व प्रति वादी सं० 1, 2 बजरिये पत्नी सं० 3 के पति का हिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा के तथा प्रतिवादी सं. 4 1/9 हिस्से के खातेदार काश्त कार एवं काबिज आराजी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

आ० ख० नं. 1471 वादि एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त काश्त कारी की अविभाजित आराजी है जिसका अभी तक कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। उक्त आराजी का मौके पर कायमी विभाजन कर रखा है। किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बहुत चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति हैं।

— — लगातार — 2

जो वादी सामल के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने के इरादे से पुख्ता निर्माण करना चाहते हैं। तथा अलहदा-2 भाग को रहन व मुन्तकिल करना चाहते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मेरा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ता फैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की तामील में अप्रार्थी सं. 1 व की ओर से अधिवक्ता श्री खेमसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

प्रार्थी की ओर से वकालतनामा श्री राजेश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत किया गया अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आए। अतः प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.6800 हे० वाके ग्राम भुसावर की ता फैसला मूल वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

जोगेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)